



फ़.190331/2020/के.वि.सं.(दि.सं.)/स.आ.(एन.के.)/स्थानांतरण/

दिनांक: 29.07.2020

REVISED

प्राचार्य

समस्त केंद्रीय विद्यालय

दिल्ली संभाग |

विषय : केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों का एक केंद्रीय विद्यालय से दूसरे केंद्रीय विद्यालय में स्थानांतरण जबकि उनके माता / पिता का स्थानांतरण न हुआ हो (प्रवेश मार्गदर्शिका अनुच्छेद 7(iii), 7(iv))- के संबंध में |

महोदया /महोदय,

इस कार्यालय के पत्र संख्या फ़.190331/2020/के.वि.सं.(दि.सं.)/स.आ.(एन.के.)/स्थानांतरण/ दिनांक: 05.03.2020 की निरंतरता में, सत्र 2019-20 का परिणाम निकलने के उपरांत आपके विद्यालय के कुछ विद्यार्थी किसी अन्य केंद्रीय विद्यालय में स्थानांतरण के लिए इच्छुक होंगे | केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों का एक केंद्रीय विद्यालय से दूसरे केंद्रीय विद्यालय में स्थानांतरण जबकि उनके माता / पिता का स्थानांतरण न हुआ हो (प्रवेश मार्गदर्शिका अनुच्छेद 7(iii), 7(iv)), का दिल्ली संभाग के केंद्रीय विद्यालयों में स्थानांतरण अगस्त / सितम्बर 2020 में संभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा | सभी प्राचार्य, अभिभावकों से आवेदन निर्धारित प्रपत्र - 1(संलग्न) में स्वीकार करें, उसके उपरांत इच्छित विद्यालयों को आवश्यक सूचना अंकित करके Para 7 में दी गई सारणी के अनुसार भिजवाना सुनिश्चित करें | **इच्छित विद्यालय सभी कक्षाओं के आवेदन एकत्रित कर प्रपत्र 2 (Excel Sheet enclosed) में भरकर इस कार्यालय को ई मेल तथा हार्ड कॉपी द्वारा Para 7 में दी गई सारणी के अनुसार भिजवाना सुनिश्चित करें |**

1. प्रत्येक मामले की सम्यक समीक्षा करने के उपरांत ही **निम्नलिखित प्राथमिकताओं के आधार पर प्राचार्य अपनी अनुशंसा दें:-**

- इच्छित विद्यालय में सम्बंधित कक्षा का नामांकन
- अभिभावक को सरकारी आवास का आबंटन (सत्र 2019-20, 2020-21)
- निवास स्थान में परिवर्तन (सत्र 2019-20, 2020-21)
- छात्र के भाई / बहन इच्छित विद्यालय में पढ़ने हेतु स्थानांतरण (सत्र 2019-20 अथवा उससे पहले का सत्र)
- चिकित्सा मामले एवं विद्यार्थी की सुरक्षा
- विद्यालय से दूरी, आवागमन के साधनों का आभाव एवं अल्पव्यस्कता,
- कोई अन्य कारण,

परंतु कक्षा विशेष में वर्तमान संख्या सर्वोपरि विचार बिन्दु होगी |

2. ऐसे केंद्रीय विद्यालयों के विद्यार्थी जो अन्य संभागों के केंद्रीय विद्यालयों से स्थानांतरित होकर दिल्ली संभाग के केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु इच्छुक हैं और जिनके माता / पिता का स्थानांतरण न हुआ हो ऐसे अभिभावकों के लिए निर्धारित प्रपत्र - 3 (संलग्न) में ही आवेदन करेंगे | सम्बंधित प्राचार्य अपनी अनुशंसा के साथ प्रपत्र को संभाग में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करें |
3. स्थानीय स्थानांतरण केवल दिल्ली शहर में स्थित 46 (दोनों पाली मिलाकर 69 के.वि.) केंद्रीय विद्यालयों में सुनिश्चित किया जाएगा |

4. यदि माता पिता का स्थानांतरण एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर हो गया है तो के.वि. के स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर स्वतः ही (कक्षा में बच्चों की अधिकतम संख्या के ऊपर) बच्चे को प्रवेश दिया जाएगा ।
अतः ऐसे आवेदन, संभाग को न भेजे जाएँ (प्रवेश मार्गदर्शिका अनुच्छेद 7(i))
5. रक्षा कार्मिकों और अर्धसैनिक बालों के कर्मचारी, जिनका स्थानांतरण यदि ऐसे स्थान पर होता है जहाँ परिवार नहीं रखा जा सकता या जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, तो वे अपने बच्चों का प्रवेश केंद्रीय विद्यालय के स्थानांतरण प्रमाण-पत्र के आधार पर ऐसे केंद्रीय विद्यालय में करा सकेंगे जहाँ वे अपना परिवार रखते हैं । **अतः ऐसे आवेदन संभाग को न भेजे जाएँ (प्रवेश मार्गदर्शिका अनुच्छेद 7(ii))**
6. के.वि. स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर सभी स्थानीय स्थानांतरण मेरिट के आधार पर उपायुक्त के अनुमोदन के अनुसार किए जाएंगे ।
7. विभिन्न चरणों के लिए प्रस्तावित तिथियाँ निम्नवत हैं :

प्रथम चरण

- (i) अभिभावकों द्वारा आवेदन तथा इच्छित केंद्रीय विद्यालयों में स्थानीय स्थानांतरण फॉर्म जमा करने की अवधि 08.08.2020 to 15.08.2020
- (ii) इच्छित केंद्रीय विद्यालयों द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ प्रपत्र (in MS Excel only) इस कार्यालय को सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी तथा सभी विद्यार्थियों के एकत्रित स्थानीय स्थानांतरण फॉर्म के साथ प्रेषित करने की अंतिम तिथि -22.08.2020.

द्वितीय चरण

- (i) अभिभावकों द्वारा आवेदन तथा इच्छित केंद्रीय विद्यालयों में स्थानीय स्थानांतरण फॉर्म जमा करने की अवधि 23.08.2020 to 31.08.2020
- (ii) इच्छित केंद्रीय विद्यालयों द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ प्रपत्र (in MS Excel only) इस कार्यालय को सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी तथा सभी विद्यार्थियों के एकत्रित स्थानीय स्थानांतरण फॉर्म के साथ प्रेषित करने की अंतिम तिथि -07.09.2020.

ऐसे सभी प्राप्त आवेदन पर प्राचार्य के अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए तथा कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए विचार किया जाएगा और **अगस्त / सितम्बर माह** में स्थानीय स्थानांतरण का प्रथम / द्वितीय समेकित आदेश जारी किया जाएगा । **स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही विद्यार्थियों का स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करें ।**

यह पत्र सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी किया गया है ।

भवदीय,

संलग्नक : प्रपत्र 1, प्रपत्र 2 एवं प्रपत्र 3

नीता खुराना
(नीता खुराना 29/7/2020)
सहायक आयुक्त

LOCAL TRANSFER APPLICATION 2020-21

PART A (To be filled by Parent/Guardian)

1	Name of the Present K.V. _____ Shift: _____													
2	Name of the Student													
3	Class (with stream applicable for XI & XII only)													
4	Date of initial Admission													
5	Father / Mother's Name													
6	Parent's Department (Central/State/Any Other) Category													
7	Address as recorded in the Vidyalaya at the time of initial admission (copy of the proof may be attached)													
8	<p>Reason for seeking Transfer</p> <p align="center">Please tick (√) on relevant reason:-</p> <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:60%;">(a) Allotment/Vacation of Govt. Accommodation</td> <td style="width:5%; text-align:center;">()</td> </tr> <tr> <td>(b) Parents' transfer (Cat. I to IV only)</td> <td style="text-align:center;">()</td> </tr> <tr> <td>(c) Shifting to/purchase of own house.</td> <td style="text-align:center;">()</td> </tr> <tr> <td>(d) Sibling Case</td> <td style="text-align:center;">()</td> </tr> <tr> <td>(e) Serious Medical case</td> <td style="text-align:center;">()</td> </tr> <tr> <td>(f) Any other reason (as deemed fit by the Principal, including shifting to rented accommodation, subject to availability of vacant seats.</td> <td style="text-align:center;">()</td> </tr> </table> <p>(Please submit the valid proof in support of your reason for Local Transfer (a) to (f).</p>		(a) Allotment/Vacation of Govt. Accommodation	()	(b) Parents' transfer (Cat. I to IV only)	()	(c) Shifting to/purchase of own house.	()	(d) Sibling Case	()	(e) Serious Medical case	()	(f) Any other reason (as deemed fit by the Principal, including shifting to rented accommodation, subject to availability of vacant seats.	()
(a) Allotment/Vacation of Govt. Accommodation	()													
(b) Parents' transfer (Cat. I to IV only)	()													
(c) Shifting to/purchase of own house.	()													
(d) Sibling Case	()													
(e) Serious Medical case	()													
(f) Any other reason (as deemed fit by the Principal, including shifting to rented accommodation, subject to availability of vacant seats.	()													
		Document submitted : (i) (ii)												

Certify that the above information is correct to the best of my knowledge and if at any stage the information submitted is found to be wrong /incorrect I shall forfeit my claim for Local Transfer of my Ward.

(SIGNATURE OF THE PARENTS WITH DATE)

.....
 Verified / not verified

Signature & Name of the Class Teacher with date:

Certified that the above case is forwarded after verifying the details and relevant papers for seeking local transfer submitted by the parent and duly verified by the Class Teacher.

(SIGNATURE WITH SEAL)

PRINCIPAL

(Present KV where student is studying)

PART B (To be filled by KV where transfer is sought)

Name of KV where transfer is sought: _____

To be filled by the Admission In-charge:

S. N.	Name of Student	Name of Previous KV with Shift	Name of KV where transfer is sought	Class	Shift - 1			Shift - 2		
					No. of Sections	Total Class Strength	Average enrolment	No. of Sections	Total Class Strength	Average enrolment
1										
2										
3										

In case the transfer is sought on **Sibling Case**, the following details may be verified:-

Name and Admission No. of Brother/Sister:

Studying in class/section/ (with stream) :

Verified/Not verified:

Signature of Class Teacher:

Name of Class Teacher:

(SIGNATURE WITH SEAL)

PRINCIPAL

(KV where transfer is sought)

